राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ. 55( )अभि. / सीई / डीएलबी / कोरोना / 2021 / SP–1 दिनांकः–08.05.2021

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राज.।

विषयः– कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु दिनांक 10.05.2021 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 24.05.2021 प्रातः 5:00 बजे तक की लॉकडाउन अवधि के लिए विशेष दिशा–निर्देशों बाबत्।

प्रसंगः– गृह विभाग गृह (ग्रुप–7) द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30.04.2021 के क्रम में जारी आदेश क्रमांक प.7(1)गृह–7 / 2021 जयपुर, दिनांक 06.05.2021 के क्रम में।

जैसा कि विदित है कोरोना महामारी की दूसरी लहर में नगरीय क्षेत्रों में बढ़ता संक्रमण एवं राज्य के युवा वर्ग में बढ़ते संक्रमण तथा मृत्यु की संख्या को नियंत्रित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। संक्रमण की इस Chain को तोड़ने के लिए Gatherings को नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गृह विभाग द्वारा दिनांक 30.04.2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट–जन अनुशासन पखवाड़ा आदेश की निरंतरता में दिनांक 10.05.2021 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 24.05.2021 प्रातः 5:00 बजे तक लॉकडाउन के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2021 को जारी निर्देशो के अलावा दिनांक 06.05.2021 को जारी दिशा–निर्देशों की पालना हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः–

1. कोविड संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात–निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की दिनांक 31.05.2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे जिनकी सूचना **DoIT** द्वारा बनाये गये पोर्टल **http://covidinfo.rajasthan.gov.in-e-Intimation:MARRIAGE** पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड–बाजा, हलवाई, टैन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैण्ट हाऊस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नही होगी।
2. मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर को शादी–समारोह हेतु बंद रखा जायेगा। शादी–सामारोह में विवाह स्थल मालिकों, टैण्ट व्यवसायियों, केटरिंग संचालक एवं बैण्ड–बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंगकर्ता द्वारा एडवांस बुकिंग हेतु दिया गया अमाउण्ट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जायेगा या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार एडजस्ट किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के सामुहिक भोज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
4. संपूर्ण राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से यह अपील की जाती है कि पूजा–अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करें।
5. समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन जैसे–बस, जीप इत्यादि (मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पों, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

6. समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। संबंधित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान–पत्र जारी किया जाये जिससे आवागमन में सुविधा हो। उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नंबर व ड्राइवर का नाम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
7. निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।
8. जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने संबंधित नगरीय क्षेत्र में गृह विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2021 के द्वारा जारी निर्देशों के साथ–साथ जारी आदेश दिनांक 06.05.2021 के उपरोक्त दिशा–निर्देशों की सख्ती से पालना हेतु आपके क्षेत्र में स्थित दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/मैरिज गार्डन/**Banquent halls** के संचालकों को पाबंद कराया जाना सुनिश्चित करें तथा कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर संबंधित दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/मैरिज गार्डन/**Banquent halls** को जिला प्रशासन के सहयोग से सील करने की कार्यवाही करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः एफ. 55( )अभि./सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/SP–1 दिनांकः– 08.05.2021

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास,आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. उप निदेशक (क्षे.) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राज.।
6. प्रोग्रामर आई.टी. प्रकोष्ठ निदेशालय जयपुर।
7. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक